FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0231 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/08/2026 14:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 12/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 16:58 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/08/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/08/2026 14:50:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY TAHSIL/UP PANJIYAK, VIRATNAGAR KOTPUTLI BAHROR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMKARAN BHATI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SUGLARAM BHATI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 06, AMAN MATA MANDIR KE PASS, DHANI BHATIYON KI, DUDHI AAMLODA, VIRATNAGAR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 06, AMAN MATA MANDIR KE PASS, DHANI BHATIYON KI, DUDHI AAMLODA, VIRATNAGAR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVILAL PALSANIA		पिता:NARAYAN JAT	1. JUBANPURA,VIRATNAGAR, BHABRU,कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN,INDIA
2	ASHOK		पिता:KAILASH CHAND	1. PAPRI,VIRATNAGAR, कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN, INDIA
3	SANJAY KUMAR		पिता:DULI CHAND	1. KHEDRO KI DHANI,SURAJGARH,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		55,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 55,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है कि दिनांक 11.08.2026 को परिवादी श्री रामकरण भाटी पुत्र श्री सुगलाराम भाटी जाति गुर्जर उम्र 45 साल निवासी वार्ड नम्बर 06, अमन माता मन्दिर के पास, ढाणी भाटीयो की दुधी आमलोदा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.प्रथम जयपुर को सम्बोधित करते हुये उनके समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि " सेवामे ,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, su 1 acb jaipur विषय- रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बाबत्, महोदय, निवेदन है कि मै रामकरण s/o श्री सुगलाराम भाटी जाति गुर्जर उम्र 45 साल निवासी दुधी आमलोदा, त. विराटनगर का रहने वाला हू। मेरे द्वारा दिनांक 26.05.2026 को रामसहाय पुत्र श्री भगवान सहाय कुम्हार से जमीन खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री निवासी आमलोदा से 0.0742 हैक्टेयर भूमि रूपये 1,46,000 में क्रय की है। उक्त रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर में पंजीकृत हुई थी जिसमें मेरे द्वारा पंजीयन व स्टाम्प शुल्क के 13931 रूपये जमा करवाये थे। उक्त रजिस्ट्री में गवाह सुभाष जाट निवासी नरहर व जगमाल यादव पुत्र रूडमल यादव निवासी ढोडी निवासी शाहपुरा थे। उक्त दिनांक को मुझ क्रेता व विक्रेता दोनो गवाह के हस्ताक्षर व फोटू तहसील कार्यालय में पूर्ण हो चुके थे तथा रजिस्ट्री में उल्लेखित चैक का भुगतान विक्रेता रामसहाय को उसके खाते मे प्राप्त हो गया था तथा क्रय कि गई भूमि पर मुझे कब्जा मौके पर सम्भला दिया गया था। मुझ क्रेता-विक्रेता के मध्य उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद नही था ना ही मेरी कोई बकाया राशि पंजीयन शुल्क में नही रही है। उक्त कृषि भूमि किसी हाईवे व मैन रोड पर नही है। उक्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थगन नही है। इसके बावजूद भी उप पंजीयक विराटनगर में कार्यरत तहसीलदार संजय कुमार खेदड व लिपिक देवीलाल जाट उक्त रजिस्ट्री मुझे देने की एवज में 60,000 /-रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। दिनांक 10.08.2026 को मैं मेरी रजिस्ट्रर लेने तहसील कार्यालय गया व मैं तहसीलदार से मिला तो उनके द्वारा रीडर देवीलाल से मिलने के लिये कहॉ, मैं देवीलाल से मेरी रजिस्ट्री की मांग की तो देवीलाल ने कहॉ की आप 60 हजार रूपये दे दो मै तहसीलदार विराटनगर श्री संजय कुमार व उनके रीडर देवीलाल लिपिक को रिश्वत राशि नही देना चाहता हू¡ रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी तहसीलदार संजय कुमार व रीडर देवीलाल से कोई आपसी रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेनदेन शेष है। रिपोर्ट करता हू कानूनी कार्यवाही करे। दिनांक 11.08.2026 एसडी प्रार्थी रामकरण भाटी इसके पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् अर्चना मीणा उप अधीक्षक पुलिस को उनके कार्यालय कक्ष में बुलाने पर उनके सामने एक पेन्ट शर्ट पहने हुये व्यक्ति बैठा हुआ था। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनके सामने बैठे व्यक्ति श्री रामकरण भाटी से परिचय करवाया जाकर उसके द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हस्तलिखित पृष्ठांकन कर परिवादी का प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी रामकरण भाटी एवं उनके प्रार्थना पत्र को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी। परिवादी श्री रामकरण भाटी से मजीद दरियाफ्त की जाने पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना बताया गया। प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाने सही होना, अपनी जानकारी में होना स्वीकार किया गया। परिवादी श्री रामकरण भाटी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुए बताया कि मेरे द्वारा श्री रामसहाय पुत्र श्री भगवान सहाय कुम्हार, उम्र 54 वर्ष निवासी आमलोदादूदी से ग्राम व पटवार हल्का आमलोदादूदी मे स्थित खाता संख्या 151 व खसरा नम्बर 330,332,333,334 मे से 1/14 हिस्सा यानि 0.0742 हैक्टेयर भूमि राशि 1,46,000/-रूपये मे क्रय की गयी थी। जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 26.05.2026 को उप पंजीयक/तहसील कार्यालय तहसील विराटनगर जिला

कोटपूतली-बहरोड में करवायी थी। जिसमें विक्रेता, मै, दो गवाह श्री सुभाष जाट व श्री जगमाल यादव थे हमारी उस दिन फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी हो गयी थी। मेरे द्वारा पंजीयन व स्टाम्प शुल्क 13,931/-रूपये जमा करवाये थे, रजिस्ट्री में किसी दस्तावेज की कमी नही थी तथा रजिस्ट्री डीएलसी से अधिक राशि पर करवायी गयी है, मेरे द्वारा राजकोष में कोई नुकसान नही पहुचाया गया। मेरी उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थगन, विवाद, ऋण एवं कोई विवाद नही है। रजिस्ट्री निष्पादन के पश्चात मेरे द्वारा दिया गया चैक विक्रेता के खाता में क्लियर भी हो गया है तथा मुझे मौके पर कब्जा भी सम्भला दिया गया है। मेरी उक्त रजिस्ट्री के पेटे कोई विवाद नही होने, उक्त कृषि भूमि, हाईव, स्टेट हाईवे, आम रोड पर स्थित नही है। इसके बावजूद भी मुझे मेरी रजिस्ट्री देने के लिये श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक व श्री देवीलाल रीडर/लिपिक आपसी मिलीभगत पूर्वक 60,000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैने दिनांक 07.08.2026 को उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को मेरी रजिस्ट्री दिलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति प्रस्तुत कर रहा हू तथा रजिस्ट्री की कुछ फोटो मैने मोबाईल से खीची थी उसकी भी प्रतियाँ प्रस्तुत कर रहा हू। परिवादी ने बताया कि मै जमीन दूसरो को खरीद परोख्त का कार्य भी करता हू। मेरे द्वारा डा. घनश्याम स्वामी व उनकी पत्नि श्रीमती पल्लवी को जमीन दिलवायी थी जिनकी दोनो रजिस्ट्री मैं गवाह हू तथा डा. साहब व उनकी पत्नि ने मुझे जमीन की रजिस्ट्री लेने के लिये कह रखा है। दिनांक 10.08.2026 को मैं मेरी रजिस्ट्री व 02 रजिस्ट्री डा. घनश्याम स्वामी व उनकी पत्नि की पंजीयन के पश्चात प्राप्त करने तहसील कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय में श्री संजय कुमार तहसीलदार से मिला तो उनके द्वारा श्री देवीलाल रीडर से मिलने के बारे मे बताया श्री देवीलाल रीडर द्वारा मेरी रजिस्ट्री देने के लिये 60,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग अपने लिये व तहसीलदार श्री संजय कुमार के लिये की गयी। मै श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक विराटनगर तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व उनके रीडर देवीलाल लिपिक को रिश्वत राशि नही देना चाहता हू रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी तहसीलदार संजय कुमार व रीडर देवीलाल से कोई आपसी रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेनदेन शेष है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात कार्यालय की अलमारी से एक SONY कम्पनी के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर उसमे Consistent कम्पनी का 32 GB क्षमता का नया माईक्रो एस.डी. कार्ड लगवाया जाकर उपस्थित परिवादी श्री रामकरण भाटी पुत्र श्री सुगलाराम भाटी जाति गुर्जर उम्र 45 साल निवासी वार्ड नम्बर 06, अमन माता मन्दिर के पास, ढाणी भाटीयो की दुधी आमलोदा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर चालू व बन्द करने की विधि नियमानुसार समझाई गयी। कार्यालय पर पदस्थापित श्री यशपाल कानि. नम्बर 191 को तलब किया गया। परिवादी का आपस में यशपाल कानि. से परिचय करवाया जाकर कार्यालय का उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी श्री रामकरण भाटी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने के लिये श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये गये कि परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु एसओ श्री संजय कुमार, उप पंजीयक/तहसीलदार व श्री देवीलाल रीडर/ लिपिक के पास रवाना करने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर रवाना करे तथा परिवादी के आस पास रहकर इनके मध्य होने वाली वार्ता को गोपनीयता बरतते हुये, सुनने का प्रयास करें तथा संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग किये जाने सम्बन्धी आपस में होने वाली वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होने के पश्चात् मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करे। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी रामकरण भाटी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के लिये श्री यशपाल कानि.नम्बर 191 के साथ परीवादी की गाडी मे उनके साथ रवाना तहसील/उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड किया गया । दिनांक 11.08.2026 को परिवादी श्री रामकरण भाटी ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज दिनांक 11.08.2026 को मै ब्यूरो कार्यालय से श्री यशपाल कानि. को मेरी कार मे लेकर समय 5.15 पीएम पर कार्यालय उप पंजीयक/तहसील कार्यालय विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड के बाहर पहुaचे जहाँ पर श्री यशपाल कानि. ने मुझे टेप चालू कर दिया था। श्री यशपाल कानि. भी मेरे साथ अन्दर तहसील कार्यालय में आ गये थे। मैं अन्दर तहसील कार्यालय में जाकर मेरी रजिस्ट्री के सम्बन्ध में श्री देवीलाल लिपिक/रीडर से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा मुझे कहाँ गया कि पैसे लाये हो क्या, मेरे से मेरी रजिस्ट्री देने के लिये 60,000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गयी। मेरे द्वारा 10,000/- रूपये श्री देवीलाल को देने लगा व बाकि कल दिनांक 12.08.20226 को देने के लिये कहाँ व कुछ राशि कम करने के लिये कहाँ तो श्री देवीलाल ने मेरे से उक्त राशि नही ली जाकर एक साथ राशि 60,000/- रूपये देने के लिये कहाँ गया तथा 55,000/- रूपये में रिश्वत राशि रजिस्ट्री की एवज में लेना तय किया गया। इसके पश्चात तहसीलदार साहब श्री संजय कुमार व्यस्त होने से मै बाहर आ गया। कुछ समय पश्चात मै तहसीलदार/ उप पंजीयक श्री संजय कुमार से उनके चैम्बर में टेप रिकॉर्डर चालू कर मिला व उनको बताया कि मेरी रजिस्ट्री देने के लिये श्री देवीलाल रीडर 60,000/- रूपये की राशि व 03 कुर्सियाँ मांग कर रहे है कुछ राशि कम कर दो सर, इसके पश्चात श्री संजय कुमार ने श्री देवीलाल को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया व कहाँ कि कुर्सिया मे से एक का तो हाईड्रोलिक खराब है तथा एक नई लाकर दे दो, यह अपने पास आते रहते है, रजिस्ट्रीयो पर हस्ताक्षर हो चुके है, मेरे द्वारा कुछ कम करने के लिये कहने पर श्री संजय कुमार तहसीलदार ने कुछ नेगोशियसन कर लो

देवीलाल जी, इसके पश्चात श्री देवीलाल द्वारा 55,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ व कहॉ कि अभी दे दो पैसे ओर आपकी 03 रजिस्ट्री अभी ले जाओ। मेरे से मेरी रजिस्ट्री के लिये ही पैसो की मांग कर रहे है। मेरे द्वारा टेप मे सब रिकॉर्डिग कर ली है, इसके पश्चात मै बाहर आकर टेप श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द कर दिया है, जिनके द्वारा टेप को बन्द कर दिया था तथा मेरे आवश्यक कार्य होने से मैं अभी ब्यूरो कार्यालय नही आ पाउंगा, दिनांक 12.08.2026 को ब्यूरो कार्यालय पर आउंगा। श्री यशपाल कानि. को बस मे बिठा दिया है जो आपके पास आ रहे है। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब कर दिनांक 12.08.2026 को समय 9.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय पर रिश्वत राशि 55,000/- रूपये की व्यवस्था कर आने के लिये पाबन्द किया गया। श्री यशपाल कानि. उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री रामकरण भाटी की कार मे उसके साथ रवाना होकर समय 5.15 पीएम पर कार्यालय उप पंजीयक/तहसील कार्यालय विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड के बाहर पहुaचे जहॉ पर मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया था। मैं परिवादी के साथ अन्दर तहसील कार्यालय में जाकर आरोपी श्री देवीलाल रीडर व श्री संजय कुमार को देखा गया था। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द करने पर मेरे द्वारा बन्द किया गया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी रजिस्ट्री के सम्बन्ध में श्री देवीलाल लिपिक/रीडर से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा मेरे से मेरी रजिस्ट्री देने के लिये 60,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गयी। मेरे द्वारा कुछ राशि कम करने के लिये कहॉ गया एवं 10,000/- रूपये श्री देवीलाल को देने लगा तो श्री देवीलाल ने मेरे से उक्त राशि नही ली जाकर एक साथ देने के लिये कहॉ गया तथा 55,000/- रूपये में रिश्वत राशि रजिस्ट्री की एवज में लेना तय किया गया। इसके पश्चात तहसीलदार साहब श्री संजय कुमार व्यस्त होने से परिवादी बाहर मेरे पास आ गया। कुछ समय पश्चात मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर वापस परिवादी को तहसीलदार से वार्ता करने के लिये दिया कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे प्रस्तुत किया गया मेरे द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द किया गया। परिवादी ने मुझे बताया कि तहसीलदार/ उप पंजीयक श्री संजय कुमार से उनके चैम्बर से मिला व उनको बताया कि मेरी रजिस्ट्री देने के लिये श्री देवीलाल रीडर 60,000/- रूपये की राशि व 03 कुर्सियॉ की बात कर रहे है कुछ कम कर दो सर, इसके पश्चात श्री संजय कुमार ने श्री देवीलाल को बुलाया ओर कहॉ कि अपने पास आते रहते है, रजिस्ट्रीयो पर हस्ताक्षर हो चुके है कुछ नेगोशियसन कर लो देवीलाल जी, इसके पश्चात श्री देवीलाल द्वारा 55,000/-रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ। इसके पश्चात मै बाहर आकर टेप श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द कर दिया है। उनको बस मे बिठा दिया है तथा मेरे आवश्यक कार्य होने से दिनांक 12.08.2026 को ब्यूरो कार्यालय पर आउंगा । इसके पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी एवं श्री यशपाल द्वारा कही गयी बातो की पुष्टि हुयी। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी मे दुरूस्त रखा गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो कार्यालय स्टाफ को समय 8.30 ए.एम पर कार्यालय पर उपस्थित आने के लिये एवं स्वतंत्र गवाह पाबन्द करने के लिये जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया।दिनांक 12.08.2026 को मन् उप अधीक्षक पुलिस मय कार्यालय स्टॉफ उपस्थित कार्यालय आये एवं श्री रविन्द्र कानि. को स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु कार्यालय उप निदेशक कृषि गुण नियन्त्रण, प्रयोगशाला जयपुर पर रवाना किया जाने पर कुछ समय पश्चात श्री रविन्द्र कानि. ने गवाह लाकर पेश किये गये। दोनो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित आने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने नाम पता पूछा गया तो एक स्वतंत्र गवाह ने अपना नाम श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री विष्णु भगवान सिंघल जाति महाजन अग्रवाल, उम्र 41 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी वर्धमान नगर, रूप होटल के पीछे हिण्डोन सिटी, पुलिस थाना हिण्डोन सिटी, जिला करोली हाल निवासी किरायेदार मकान नम्बर 193/259, प्रतापनगर सेक्टर 19, जयपुर, हाल कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि, गुण नियन्त्रण, दुर्गापुरा जयपुर। मोबाईल नम्बर व दूसरे ने अपना नाम 2-सुश्री अनीता यादव पुत्री श्री के.आर.यादव (कानाराम यादव) जाति यादव, उम्र 28 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी मकान नम्बर बी 152, जमुना पुरी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर हाल सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी कार्यालय उप निदेशक कृषि रसायन, एग्रीक क्लीनिक एवं राज्य स्तरीय मृदा संरक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर। मोबाईल नम्बर होना बताया । परिवादी श्री रामकरण भाटी से दोनों स्वतंत्र गवाह का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाह को परिवादी श्री रामकरण भाटी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाकर गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों गवाह ने गवाह बनने की पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गयी। इसके पश्चात परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनाsa स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर परिवादी व आरोपीगण श्री संजय कुमार, तहसीलदार/उप पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व श्री देवीलाल रीडर, लिपिक, कार्यालय उप पंजीयक तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 11.08.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय आमने सामने हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाये जाने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर लैपटॉप की सहायता से सुनकर गवाहो की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार करना शुरू की गयी। परिवादी श्री रामकरण भाटी एवं संदिग्ध आरोपी आरोपीगण श्री संजय कुमार, तहसीलदार/उप

पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व श्री देवीलाल रीडर, लिपिक, कार्यालय उप पंजीयक तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई। फर्द अनुलिपी में रूपान्तरण वार्ता परिवादी श्री रामकरण भाटी के सामने उनसे पूछ-पूछकर तैयार की गयी। स्वतंत्र गवाहान परिवादी ने उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया एवं वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के मेमोरी कार्ड बनवाने हेतु 03 Consistent कम्पनी का 32 GB के मंगवाये जाकर खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय के लैपटॉप में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर लैपटॉप एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे मूल मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB की सहायता से रिकॉर्ड शुदा वार्ता की वाईस क्लीप को बारी-बारी से 03 मेमोरी कार्ड मे कॉपी/पेस्ट किया जाकर मेमोरी कार्ड पर क्रमशः मार्क " M-1"," M'-2" M'-3" अंकित किया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मेमोरी कार्ड मार्क " M-1" व M'-2 को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर मार्क अंकित कर अलग-अलग सफेद कपडे़ की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्क " M-1" व M'-2 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया । मेमोरी कार्ड " M'-3" को अनुसंधान हेतु खुला रखकर शामिल ट्रेप कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे से निकालकर लैपटॉप से कनेक्ट कर हैश वेल्यू निकाली गयी। इसके पश्चात मूल मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB को उसके कंवर मे रखकर कवर को एक सफेद कपडे़ की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क M अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट/अनुलिपी पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामकरण भाटी को संदिग्ध आरोपीगण श्री संजय कुमार, तहसीलदार/उप पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व श्री देवीलाल रीडर, लिपिक, कार्यालय उप पंजीयक तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड को उनकी मांग के अनुशरण में दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 110 नम्बरी नोट कुल राशि 55,000/- रूपये प्रस्तुत किये है। उक्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये एवं गवाहान से मिलान करवाया गया। रिश्वत राशि के नम्बरी नोट पर श्री शिवशंकर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भ्रनिब्यूरो एस.यू प्रथम जयपुर से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में फिनोफ्थैलीन पाउडर एक अखबार पर श्री शिवशंकर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से डलवाकर उक्त नम्बरी नोटो पर श्री शिवशंकर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रामकरण भाटी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री राजीव कुमार गुप्ता से लिवाई गई तो परिवादी श्री रामकरण भाटी के पास एक मोबाईल मिला है जो परिवादी के पास छोडा है। इसके अतिरिक्त परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु/राशि नहीं पाई गई। इसके श्री शिवशंकर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 55,000/- रूपये सह परिवादी श्री रामकरण भाटी के पहने हुये पेन्ट के दाहिने साईड के जेब में रखवाये गये। परिवादी को सिर पर दो बार हाथ फैरकर या परिस्थितिनुसार अपने मोबाईल नं. से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. पर मिस्ड काल कर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करना बताया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह व परिवादी को रिश्वत राशि प्राप्त करने पर की जाने वाली प्रक्रिया मे रासायनिक प्रक्रिया का महत्व समझाया गया। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेनदेन के दौरान होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये रिश्वत राशि देने जाने से पूर्व सुपुर्द करने के लिये श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एंव प्रदर्शन फिनोफ्थैलीन एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर व फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मूर्तिब की जाकर शामिल कार्रवाई की गयी। इस पश्चात समय 1.30 पी.एम. पर मन् अर्चना मीना उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रमेश चंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस को हमराह लेकर परिवादी श्री रामकरण भाटी की कार RJ14UJ2604 स्कार्पियो एन में एवं सरकारी मिनी बस टेम्पू ट्रेवलर मय श्री बिरजू आरक्षी चालक 368 बस नं. RJ14PE9166 में, श्री निर्मल कुमार मुख्य आरक्षी-57, श्री यशपाल शर्मा आरक्षी 191 श्रीमती सावित्री महिला आरक्षी. 91 श्री हेमराज मीना आरक्षी-306 सीपीएस भ्रनिब्यूरो जयपुर, श्री सोहन लाल आरक्षी 216 सीपीएस भ्रनिब्यूरो जयपुर मय सुश्री अनिता यादव सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (स्वतंत्र गवाह), श्री राजीव कुमार गुप्ता कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (स्वतंत्र गवाह) एवं श्रीमान अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कौशिक मय सरकारी कार नं. RJ14UL6424 मय चालक श्री हंसराज आरक्षी मय श्री मेहरसिंह आरक्षी 255 एसयू प्रथम भ्रनिब्यूरो जयपुर 2.श्री रविन्द्र कुमार आरक्षी 467 एसयू प्रथम भ्रनिब्यूरो जयपुर 3.श्री मनोज कुमार आरक्षी 65 एसआईडब्ल्यू भ्रनिब्यूरो जयपुर को साथ लेकर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना विराटनगर तहसील विराट नगर जिला कोटपूतली-बहरोड की तरफ होकर समय 3.30 पी.एम. विराटनगर तहसील से कुछ पहले स्थित होटल टाईगर पर पहुँचे जहाँ पर आरोपी तहसीलदार श्री संजय कुमार के बारे मे जानकारी प्राप्त की जाने पर चतरपुरा कैम्प में होने की जानकारी हुयी। उक्त होटल से तहसील कार्यालय करीब 100-150 मीटर ही होना सामने आया। इसके पश्चात परिवादी को गोपनीय रूप से

आरोपीगण श्री संजय कुमार व श्री देवीलाल की जानकारी लेने के लिये तहसील कार्यालय भिजवाया गया, कुछ समय पश्चात परिवादी श्री रामकरण भाटी उपस्थित होटल पर आया व बताया कि श्री संजय कुमार तहसीलदार कैम्प ड्यूटी में गये हुये है जो कुछ समय पश्चात आने ही वाले है तथा श्री देवीलाल रीडर तहसील कार्यालय में उपस्थित है। इस पर श्री संजय कुमार तहसीलदार का आने के इन्तजार में मुकीम रहे। इसके पश्चात समय 4.40 पी.एम. आरोपीगण श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक एवं श्री देवीलाल को रिश्वत राशि देने के लिये श्री यशपाल कानि.द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करने के पर रवाना किया गया एवं सभी अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुये सह परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर निर्धारित ईशारा में मुकीम रहे। इसके पश्चात समय करीब 4.58 पी.एम. पर परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर फोन कर आरोपी श्री देवीलाल रीडर, कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का निर्धारित ईशारा किया गया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान के रवाना होकर तहसील कार्यालय विराटनगर में प्रवेश किया गया। कार्यालय के डिजीटल कैमरा से श्री निर्मल कुमार मुख्य आरक्षी से रिकॉर्डिग शुरू करवायी गयी। तहसील कार्यालय के मैन गेट के बाहर तहसीलदार की सरकारी गाडी खडी होना पायी गयी तथा तहसीलदार न्यायालय की डेस्क पर एक व्यक्ति ब्ल्यू रंग का शर्ट व क्रीम कलर का पेट पहने हुये बैठे दिखाई दिये गये जिनकी पुष्टि तहसीलदार की सीट पर बैठे होने से तहसीलदार श्री संजय कुमार होने की पुष्टि हुयी जिनकी बाहर निगरानी हेतु श्री रविन्द्र कानि. व श्री यशपाल कानि.को छोडा गया। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह मय जाप्ता के तहसील कार्यालय मे परिवादी की तलाश की तो आगे गैलरी में कमरा नम्बर 4 जिस पर पंजीयन शाखा लिखा होना पाया गया जिसमें प्रवेश करने पर कम्प्यूटर टेबल पर एक व्यक्ति आसमानी रंग की शर्ट जिस पर गुलाबी रंग की प्रिन्ट व नीले रंग की जिन्स पहने हुये दिखाई दिया जिसके पास कुर्सी पर परिवादी श्री रामकरण भाटी बैठा हुआ दिखाई दिया तथा उसके पास एक व्यक्ति डार्क हरे रंग की शर्ट व काले रंग की पेंट पहने हुये खडा था। इसके पश्चात परिवादी ने अपने पास कुर्सी पर बैठे हुये व कम्प्यूटर पर काम करते हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि यही श्री देवीलाल रीडर , कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील/ उप पंजीयक विराटनगर है जिनसे आज दिनांक 12.08.2026 को मैने मेरी पैण्डिग 03 रजिस्ट्रीयॉ देने के लिये कहॉ जिस पर श्री देवीलाल रीडर ने कहॉ कि पैसे लाये हो क्या, इस पर मेरे द्वारा पैसे लाने की बात देवीलाल को बतायी जाने पर मेरे द्वारा 55,000/- रूपये के नम्बरी नोट अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब मे से निकालकर आरोपी श्री देवीलाल को दी जाने पर आरोपी श्री देवीलाल द्वारा अपने दाहिने हाथ से 55,000/- रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुये पेंट की दाहिन जेब में रखकर शंका होने पर थोडी देर बाद मेरे सामने ही उसके पास खडे श्री अशोक कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) डीड राईडर को आरोपी श्री देवीलाल द्वारा दी जाने पर आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा श्री देवीलाल से रिश्वत राशि अपने बाये हाथ से प्राप्त कर बाये से दाहिने हाथ मे लेकर अपने पहने हुये पेंट के दाहिने जेब मे रखी है। इसके पश्चात परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकोर्डर प्राप्त कर बन्द कर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाते हुये उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान् का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य से अवगत कराया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री देवीलाल पलसानिया पुत्र श्री नारायण जाट जाति जाट, उम्र 24 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी ग्राम जवानपुरा, तहसील विराटनगर पुलिस थाना भाबरू जिला कोटपूतली बहरोड हाल कनिष्ठ सहायक/ रीडर कार्यालय तहसील/उप पंजीयक विराटनगर जिला कोटपूतली -बहरोड होना बताया गया तथा श्री देवीलाल के पास खडे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अशोक पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण, उम्र 38 वर्ष, पेशा प्राईवेट कार्य निवासी ग्राम पापडी, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड होना बताया गया। इसके पश्चात न्यायालय तहसील विराटनगर में डेस्क पर बैठे श्री संजय कुमार तहसीलदार को निगरानी जाप्ता से कमरा नम्बर 04 मे पंजीयन शाखा कार्यवाही स्थान पर तलब कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री संजय कुमार पुत्र श्री दुल्लीचंद जाति जाट उम्र 40 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी गांव खेदडो की ढाणी, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू हाल निवास सरकारी आवास परिधि तहसील कार्यालय हाल तहसीलदार/ उप पंजीयक तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड होना बताया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री देवीलाल से परिवादी श्री रामकरण भाटी की ओर की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आपने अभी अभी परिवादी श्री रामकरण भाटी से उसके द्वारा अपनी व अपने परिचितो की करवाई गई तीन रजिस्ट्ररीयो को पंजीकृत कर देने की एवज मे 55,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की है क्या जिस पर आरोपी श्री देवीलाल रीडर चूप रहा व कुछ नही बोला।इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाह श्री राजीव कुमार गुप्ता से आरोपी श्री अशोक की जामा तलाशी लिवाई जाने पर अशोक कुमार के पेन्ट की दाहिनी जेब मे 500-500 रूपये के नोटो की गडिया निकालकर प्रस्तुत की गई जिनको गवाह राजीव कुमार गुप्ता से गिनवाकर पूर्व मे बनायी गयी फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत से मिलान करवायी जाने पर स्वतंत्र गवाह द्वारा 55,000/- रूपये की रिश्वत राशि हूबहू होना पायी गयी। उक्त राशि गवाह श्री राजीव कुमार गुप्ता के पास ही सुरक्षित रहने दी गयी। श्री अशोक की जामा तलाशी मे रिश्वत राशि के अलावा 7320 रूपयें मिले जिनको सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री देवीलाल रीडर/ कनिष्ठ सहायक व श्री अशोक कुमार द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि की प्रमाणिकता के बारे में हमरा जाप्ते मे से पानी मंगवा कर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के

गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी होना पाया गया जिसको स्वतंत्र गवाह व परिवादी को दिखया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया गया जिसको दो कांच की शीशीयां को साबुन व पानी से साफ धुलवाकर शीशीयां मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के गिलास मे पानी भरकर पूर्व की भॉति प्रक्रिया अपनाई जाकर आरोपी श्री देवीलाल रीडर/ कनिष्ठ सहायक के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की शीशीयां को साबुन व पानी से धुलवाकर शीशीयां में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री अशोक द्वारा आरोपी देवीलाल द्वारा दी गई रिश्वत राशि अपने पास रखी जाने की प्रमाणिकता के बारे में हमराही जाप्ते मे से पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी वसाबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे आरोपी श्री अशोक गुप्ता प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी होना पाया गया जिसको स्वतंत्र गवाह व परिवादी को दिखया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया गया जिसको दो कांच की शीशीयां को साबुन व पानी से साफ धुलवाकर शीशीयां मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया ।इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के गिलास मे पानी भरकरपूर्व की भॉति प्रक्रिया अपनाई जाकर आरोपी श्री अशोक गुप्ता प्राईवेट व्यक्तिके बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया । उक्त धोवन को दो कांच की शीशीयां को साबुन व पानी से धुलवाकर शीशीयां में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपीगण श्री देवीलाल व श्री अशोक गुप्ता द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखने व आरोपी अशोक के पहने हुये पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने की प्रमाणिकता हेतु दो पायजामा मंगवाये जाकर आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक की पहनी हुई पेन्ट सम्मान जनक उतरवाकर नया पायजाम सम्मान जनक पहनाई गई इसके पश्चात पूर्व की भांति एक प्लास्टिक के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के एक गिलास मे गवाह सुश्री अनिता यादव के हाथ साबुन पानी से धुलवाकर आरोपी श्री देवीलाल के पेन्ट के दाहिने जेब को गवाह सुश्री अनिता यादव से उल्टा करवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो आरोपी देवीलाल के पेन्ट के दाहिने जेब के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी होना पाया गया जिसको स्वतंत्र गवाह व परिवादी को दिखया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया गया जिसको दो कांच की शीशीयां को साबुन व पानी से साफ धुलवाकर शीशीयां मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क DP-1, DP-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया।इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के गिलास मे पानी भरकर पूर्व की भॉति प्रक्रिया अपनाई जाकर आरोपी श्री अशोक गुप्ता प्राईवेट व्यक्ति के पहने हुये पेन्ट को सम्मान जनक उतरवाया जाकर नया पायजामा पहनाया गया । इसके पश्चात पूर्व की भांति एक प्लास्टिक के गिलास मे सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण तैयार करवाया गया । गवाह श्री राजीव गुप्ता के हाथ साबनु पानी से धुलवाये गये इसके पश्चात मिश्रण में पेन्ट की दायी जेब को गवाह श्री राजीव गुप्ता से उल्टा कर गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया । उक्त धोवन को दो कांच की शीशीयां को साबुन व पानी से धुलवाकर शीशीयां में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क AP-1, AP-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री देवीलाल की पहनी हुई पेन्ट के दाहिने जेब को सुखवाकर गवाह व परिवादी के हस्ताक्षर जेब पर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थेली मे रखवाकर शिल्ड मोहर कर पैकेट पर मार्क DP अकिंत कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर पैकेट को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया इसी प्रकार आरोपी श्री अशोक की पहनी हुई पेन्ट के दाहिने जेब को सुखवाकर गवाह व परिवादी के हस्ताक्षर जेब पर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थेली मे रखवाकर शिल्ड मोहर कर पैकेट पर मार्क AP अकिंत कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर पैकेट को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री देवीलाल को परिवादी श्री रामकरण भाटी की तीन रजिस्ट्रीया कहा पर है के बारे मे पुछा गया तो आरोपी देवीलाल द्वारा कमरा नबंर 4 के अन्दर बने छोटे कमरे मे से तीन रजिस्ट्रीया निकालकर प्रस्तुत की गई उक्त रजिस्ट्रीयो का अवलोकन करने उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये उक्त रजिस्ट्रीयो का विवरण निम्नानुसार है:- रजिस्ट्री संख्या - 01 (एसीबी परिवादी) 1-विक्रय पत्र तादादी 146000/- रूपये दिनांक 26.05.2026 विक्रेता

रामसहाय पुत्र भगवानसहाय उम्र 54 साल जाति कुम्हार निवासी आमलोदादुदी तहसील विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोड हाल निवासी नरहड तहसील चिडावा जिला झुन्झुनु 2-उक्त विक्रय पत्र मे क्रेता परिवादी रामकरण भाटी पुत्र श्री सुगलाराम भाटी उम्र 42 साल जाति गुर्जर निवासी दुधी आमलोदा तहसील विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोड 3-उक्त विक्रय पत्र मे गवाह सुभाष पुत्र सुरजराम जाति जाट निवासी नरहड झुन्झुनु व जगमाल यादव पुत्र रूडमल यादव निवासी टोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर 4-उक्त विक्रय पत्र मे रसीद नबंर 202602421002247 दिनांक 26.05.2026 राशि 13931 अकिंत होकर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये। उक्त विक्रय पत्र मे परिवादी व गवाह के हस्ताक्षर होना पाये गये । रजिस्ट्री संख्या - 02(एसीबी परिवादी रजिस्ट्री मे गवाह व जमीन दिलवायी गयी) 1-विक्रय पत्र तादादी 1145100/-रूपये दिनांक 18.05.2026 विक्रेता ज्ञानेन्द प्रसाद अग्रवाल उम्र 76 साल, श्री रूपेन्द्र प्रसाद अग्रवाल उम्र 63 साल, श्री लोकेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी तरूछाया नगर 2-उक्त विक्रय पत्र मे क्रेता श्री घनश्याम स्वामी उम्र 51 साल निवासी 71 ए देवीनगर भरत आश्रम मार्ग न्यु सांगानेर रोड गुर्जर की थडी के पास जयपुर 3-उक्त विक्रय पत्र मे गवाह श्री जीवलाल भाटी पुत्र सुगलाराम भाटी उम्र 39 साल निवासी दुदी आमलोदा तहसील विराटनगर व परिवादी रामकरण भाटी पुत्र सुगलाराम भाटी उम्र 42 साल निवासी दुधी आमलोदा तहसील विराटनगर 4- उक्त विक्रय पत्र मे रसीद नबंर 202602421002117 दिनांक 18.05.2026 राशि 103831 अकिंत होकर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये। उक्त विक्रय पत्र मे परिवादी व गवाह के हस्ताक्षर होना पाये गये । रजिस्ट्री संख्या - 03 (एसीबी परिवादी रजिस्ट्री मे गवाह व जमीन दिलवायी गयी) 1-विक्रय पत्र तादादी 1,01,44,000/- रूपये दिनांक 31.07.2026 विक्रेता गुलाब देवी पत्नी रूपसिंह उम्र 62 साल जाति जाट निवासी ग्राम हरचंदपुरा कांकरोली तहसील आमेर जिला जयपुर 2-उक्त विक्रय पत्र मे क्रेता श्रीमती पल्लवी स्वामी पत्नी श्री घनश्याम स्वामी उम्र 49 साल निवासी 71 ए देवीनगर भरत आश्रम मार्ग न्यु सांगानेर रोड गुर्जर की थडी के पास जयपुर 3-उक्त विक्रय पत्र मे गवाह श्री रूपसिंह चौधरी पुत्र रूडमल जाट निवासी ग्राम हरचंदपुरा कांकरोली तहसील आमेर जिला जयपुर व परिवादी रामकरण भाटी पुत्र सुगलाराम भाटी उम्र 42 साल निवासी दुधी आमलोदा तहसील विराटनगर 4- उक्त विक्रय पत्र मे रसीद नबंर 202602421003446 दिनांक 31.07.2026 राशि 101440 अकिंत होकर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये। उक्त विक्रय पत्र मे परिवादी व गवाह के हस्ताक्षर होना पाये गये । उपरोक्त रजिस्ट्रीयो की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने एवं परिवादी का कार्य लम्बित होने से उक्त मूल रजिस्ट्रीयो को जप्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक नही होने एवं परिवादी का कार्य बाधित होने से उक्त मूल रजिस्ट्रीयो की पेंजिग करवायी जाकर जरिये फर्द जप्ती रजिस्ट्रीया व मूल सुपुर्दगी एवं प्रमाणित प्रतियॉ पृथक से फर्द जप्ति तैयार की जाकर जरिये फर्द जप्ती समय 10.00 पीएम पर जप्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक से पूछा गया कि आप द्वारा आज दिनांक 12.08.2026 को परिवादी श्री रामकरण भाटी से 55,000/- रूपये की रिश्वत राशि उसके वैध कार्य के लिये क्यों प्राप्त की गयी है इस पर आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक ने बताया कि कुछ दिन पहले श्री रामकरण भाटी ने मेरे से 60,000/- रूपये उधार लिये थे जो मुझे वापस लौटाये थे । आज दिनांक को श्री रामकरण भाटी मेरे पास मेरे कार्यालय में आये जो मुझे दी है। इस पर परिवादी से आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आपने आरोपी श्री देवीलाल से 60,000/- रूपये की रिश्वत राशि उधार मे ली गयी है के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा कोई राशि श्री देवीलाल रीडर से उधार मे नही ली गयी है यह झूठ बोल रहे है। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा करवायी गयी स्वयं की रजिस्ट्री व डा. घनश्याम स्वामी व उनकी पत्नि पल्लवी द्वारा करवायी गयी रजिस्ट्रीयो को मुझे देने के लिये मे श्री देवीलाल से मिला तो मेरे से 60,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गयी । इसके पश्चात दिनांक 07.08.2026 को मैने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष उपस्थित होकर रजिस्ट्री प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिनके द्वारा तहसीलदार विराटनगर को फोन कर मेरी रजिस्ट्री देने के लिये कहॉ गया लेकिन मेरा प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर नही लिया गया। इसके पश्चात दिनांक 10.08.2026 को मै श्री देवीलाल से मिला तो मेरे पैण्डिग कार्य के लिये मेरे से 60,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गयी। इसके पश्चात आरोपी श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड की ओर ईशारा कर पूछा क्या गया क्या आप इनको जानते हो व कब से जानते हो आप इनसे कब मिले थे इस पर परिवादी श्री रामकरण भाटी ने बताया कि मै इनको पदनाम से जानता हूॅ इनका नाम श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड है। परिवादी ने बताया कि मै जमीन खरीद परोख्त का कार्य करता हू तथा उप पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज/रजिस्ट्रीया पंजीकृत करवाने आता हू, परिवादी ने बताया कि मै इनको तहसील कार्यालय मे पदस्थापन से जानता हूँ। मेरे द्वारा क्रय कृषि भूमि के अलावा मैनेडा. घनश्याम स्वामी व उनकी पत्नि श्रीमती पल्लवी को जमीन दिलवायी थी जिनकी रजिस्ट्रीयो का कार्य भी पंजीकृत होना था।परिवादी से आरोपी श्री देवीलाल रीडर व आरोपी श्री संजय कुमार तहसीलदार द्वारा मांगी गयी रिश्वत राशि के बारे मे पूछा जाने पर विस्तृत रूप से बताया कि मेरे द्वारा दिनांक 11.08.2026 को एसीबी मे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर आपके द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री यशपाल कानि. को दिया जाने पर मैं व श्री यशपाल कानि.समय 5.15 पीएम पर कार्यालय उप पंजीयक/तहसील कार्यालय विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड के बाहर पहुँचे जहॉ पर श्री यशपाल कानि. ने मुझे टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया था। मैं अन्दर तहसील

कार्यालय में जाकर मेरी रजिस्ट्री के सम्बन्ध में श्री देवीलाल लिपिक/रीडर से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा मुझे कहाँ गया कि पैसे लाये हो क्या, मेरे से मेरी रजिस्ट्री देने के लिये 60,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गयी। मेरे द्वारा 10,000/- रूपये श्री देवीलाल को देने लगा व बाकि कल दिनांक 12.08.20226 को देने के लिये कहाँ व कुछ राशि कम करने के लिये कहाँ तो श्री देवीलाल ने मेरे से उक्त राशि नही ली जाकर एक साथ राशि 60,000/- रूपये देने के लिये कहाँ गया तथा 55,000/- रूपये में रिश्वत राशि रजिस्ट्री की एवज में लेना तय किया गया। इसके पश्चात तहसीलदार साहब श्री संजय कुमार व्यस्त होने से मै बाहर आग गया। श्री यशपाल कानि0 ने टेप बन्द कर दिया था। कुछ समय पश्चात मै तहसीलदार/ उप पंजीयक श्री संजय कुमार से उनके चैम्बर में टेप रिकॉर्डर पुनःचालू कर मिला व उनको बताया कि मेरी रजिस्ट्री देने के लिये श्री देवीलाल रीडर 60,000/-रूपये की राशि व 03 कुर्सियाँ मांग कर रहे है कुछ राशि कम कर दो सर, इसके पश्चात श्री संजयकुमार ने श्री देवीलाल को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया व कहाँ कि कुर्सिया मे से एक का तो हाईड्रोलिक खराब है तथा एक नई लाकर दे दो, यह अपने पास आते रहते है, मेरे द्वारा कुछ कम करने के लिये कहने पर श्री संजयकुमार तहसीलदार ने कुछ नेगोशियसन कर लो देवीलाल जी कहाँ, इसके पश्चात श्री देवीलाल द्वारा 55,000/-रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ व कहाँ कि अभी दे दो पैसे ओर आपकी 03 रजिस्ट्री अभी ले जाओ। मेरे द्वारा टेप मे सब रिकॉर्डिंग कर ली थी। इसके पश्चात आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री देवीलाल की 03 रजिस्ट्रीया लम्बित होने के बारे मे पूछा गया तो श्री देवीलाल ने बताया कि तत्कालीन उप पंजीयक के समय 02 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिनके द्वारा हस्ताक्षर नही होने से उक्त दस्तावेजो का पंजीयन नही हुआ था तथा वर्तमान तहसीलदार के समक्ष एक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है तथा श्री रामकरण भाटी द्वारा क्रय कृषि भूमि पर स्थगन होने से उक्त दस्तावेजो मे 02 रजिस्ट्रीयाँ पंजीकृत नही हुयी थी। एक रजिस्ट्री 01 करोड रूपये से अधिक की होने से तहसीलदार साहब द्वारा मौका निरीक्षण किया गया लेकिन अपलोड नही हुआ था। इसके पश्चात परिवादी से पूछने पर परिवादी ने आरोपी श्री देवीलाल की बात का खण्डन करते हुये बताया कि यह मेरी 03 रजिस्ट्रीयाँ बिना किसी वैध कारण के लम्बित रख रखी थी।मेरे द्वारा मेरी जमीन का स्थगन निरस्त होने के दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये थे, सभी पंजीयन राशि जमा करवा दी थी, गवाह व क्रेता, विक्रेता के हस्ताक्षर करवा लिये थे इसके बावजूद भी श्री देवीलाल व श्री संजय कुमार तहसीलदार अपने हस्ताक्षर कर उक्त दस्तावेज पंजीकृत करने के लिये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे।इसके पश्चात आरोपी श्री संजय कुमार तहसीलदार/ उप पंजीयक से परिवादी श्री देवीलाल की 03 रजिस्ट्रीया लम्बित होने के बारे मे पूछा गया तो आरोपी श्री संजय कुमार ने बताया कि 02 रजिस्ट्रीया दिनांक 18.05.2026 व 26.05.2026 को तत्कालीन उप पंजीयक के समय उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिनके द्वारा हस्ताक्षर नही होने से उक्त दस्तावेजो का पंजीयन नही हुआ था, उक्त दस्तावेज पंजीयन लिपिक द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत भी नही किये गये थे तथा श्री रामकरण भाटी द्वारा क्रय कृषि भूमि पर स्थगन होने से उक्त दस्तावेजो मे 02 रजिस्ट्रीयाँ पंजीकृत नही हुयी थी उक्त रजिस्ट्रीया मेरे पदस्थापन के पूर्व की है। एक रजिस्ट्री 01 करोड रूपये से अधिक की होने से मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जो अपलोड होनी थी तथा पंजीयन लिपिक द्वारा ऑनलाईन की जाने के पश्चात पंजीकृत होनी थी, मेरे स्तर पर श्री रामकरण का कार्य लम्बित नही था,मेरे राजकार्य मे व्यस्त होने से पंजीयन नही हुयी थी, मैने दिनांक 17.07.2026 को तहसीलदार/ उप पंजीयक तहसील विराटनगर पर कार्यग्रहण किया था। मेरे समय दिनांक 31.07.2026 को रजिस्ट्री प्रस्तुत की गयी थी, मेरे द्वारा परिवादी से कुर्सियो के सम्बन्ध में बात हुयी थी।जिसके द्वारा ही कुर्सिया देने की इच्छा जाहिर कि गई थी। इसके पश्चात आरोपी श्री संजय कुमार के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध मे परिवादी से पूछने पर परिवादी ने आरोपी श्री संजय कुमार की बात का खण्डन करते हुये बताया कि यह मेरी 03 रजिस्ट्रीयाँ बिना किसी वैध कारण के लम्बित रख रखी थी। मेरे द्वारा मेरी जमीन का स्थगन निरस्त होने के दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये थे इसके बावजूद भी श्री संजय कुमार तहसीलदार अपने हस्ताक्षर करने के पैसे श्री देवीलाल रीडर के माध्यम से मांग रहे थे जिनसे मैं दिनांक 11.08.2026 को मिला तो तीनो रजिस्ट्रीयो पर हस्ताक्षर करने के लिये श्री देवीलाल द्वारा 60,000/- रूपये की मांग करने की जानकारी दी गयी जिनके द्वारा तत्समय श्री देवीलाल को बुलाकर रिश्वत राशि मे कुछ नेगोशियसन करने के लिये कहाँ था जिससे उनको मेरी पैण्डिग रजिस्ट्रीयो के बारे मे जानकारी थी, श्री देवीलाल मेरे से 55,000/-रूपये लेने के लिये सहमत हुआ था। उक्त रिश्वत राशि दी जाने पर आरोपी श्री संजय कुमार मेरी रजिस्ट्रीयो पर हस्ताक्षर कर पंजीकृत करते।इसके पश्चात आरोपी श्री अशोक से आरोपी श्री देवीलाल रीडर से जान पहचान किस प्रकार है एवं आज दिनांक 12.08.2026 को श्री देवीलाल के पास किस कार्य के लिये आये थे व आरोपी श्री देवीलाल द्वारा 58,000/- रूपये की रिश्वत राशि दी जाने पर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की जेब में क्यो रखे गये, क्या आप द्वारा श्री देवीलाल को पैसे उधार में दिये थे उक्त राशि किस उद्देश्य के लिये आप द्वारा प्राप्त की गयी के बारे मे पूछा गया तो श्री अशोक ने बताया कि मैं श्री संजय स्टाम्प विक्रेता की दुकान पर फोटो कॉपी करवाने का कार्य करता हू। आज दिनांक को मै श्री देवीलाल के पास मेरे मिलने वाले की जमीन का खाता खुलवाने श्री अनिल पटवारी के पास आया था। मुझे श्री देवीलाल ने अपने पास बुलाया व कहाँ कि एक मिनिट यहाँ पर आओ, मै श्री देवीलाल के पास गया तो श्री देवीलाल ने मुझे पैसे रखने के लिये दिये जो मैने जेब मे रख लिये, मुझे जानकारी मे नही था यह पैसे किस बात के है तथा मुझे उक्त राशि रिश्वत की होने की जानकारी भी नही थी। मै श्री देवीलाल के लिये मध्यस्था का कार्य भी नही करता हूँ। मै श्री संजय कुमार तहसीलदार को नही जानता हूँ। मुझे पता

होतो की यह रिश्वत राशि है तो मै उक्त राशि कभी नही प्राप्त करता। इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री अशोक की ओर ईशारा कर परिवादी से आरोपी के बारे मे पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि श्री अशोक को मै शक्ल से जानता हू, इसने मेरे से रिश्वत राशि की मांग नही की है लेकिन आज दिनांक को मेरे द्वारा श्री देवीलाल के मांगने पर रिश्वत राशि श्री देवीलाल को दी जाने पर आरोपी श्री देवीलाल से आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पेंट की दाहिनी जेब मे रखे है जिसको उक्त राशि वैध नही होने की जानकारी थी, इसके बावजूद भी उक्त राशि प्राप्त की गयी थी। श्री अशोक को रिश्वत राशि की जानकारी होने पर भी आरोपी श्री देवीलाल को इंकार नही किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री राजीव कुमार गुप्ता के पास सुरक्षित रखे गये बरामद शुदा 55,000/- रूपये की रिश्वत राशि को प्राप्त कर पूर्व में बनाई गई फर्द से मिलान करवाया गया, गवाह द्वारा हूबहू होना बताये गये। उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबुत जप्त कर कब्जे ए.सी.बी. लिये गये। ट्रेप कार्यवाही में पूर्व मे प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ट्रेप बॉक्स मे से निकालकर कर चालू कर सुना तो रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता दर्ज होना पायी गयी जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जायेगी। अब तक की ट्रेप कार्यवाही, परिवादी की मजीद दरियाफ्त ,रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पाया गया कि आरोपीगण लोकसेवक श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड व आरोपी श्री देवीलाल, रीडर तहसीलदार/उप पंजीयक कार्यालय तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड मे कार्यरत होकर तहसील विराटनगर के क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, भूखण्ड, आवासीय भूखण्ड, वाणिज्यिक भूखण्ड, भूमि आदि के क्रय विक्रय पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क नियमानुसार प्राप्त कर दस्तावेजो को रजिस्टर्ड/पंजीयन करवाने का कार्य किया जाता है। प्रथम विक्रय पत्र परिवादी द्वारा श्री रामसहाय पुत्र श्री भगवान सहाय कुम्हार, उम्र 54 वर्ष निवासी आमलोदादूदी से ग्राम व पटवार हल्का आमलोदादूदी मे स्थित खाता संख्या 151 व खसरा नम्बर 330,332,333,334 मे से 1/14 हिस्सा यानि 0.0742 हैक्टेयर भूमि राशि 1,46,000/- रूपये मे क्रय की गयी थी। जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 26.05.2026 को उप पंजीयक/तहसील कार्यालय तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड में करवायी थी। जिसमें विक्रेता, परिवादी, दो गवाह श्री सुभाष जाट व श्री जगमाल यादव थे जिनकी उस दिन फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी हो गयी थी। परिवादी द्वारा पंजीयन व स्टाम्प शुल्क 13,931/- रूपये नियमानुसार जमा करवाये थे। द्वितीय विक्रय पत्र तादादी 1145100/- रूपये दिनांक 18.05.2026 विक्रेता ज्ञानेन्द्र प्रसाद अग्रवाल उम्र 76 साल, श्री रूपेन्द्र प्रसाद अग्रवाल उम्र 63 साल, श्री लोकेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी तरूछाया नगर से श्री घनश्याम स्वामी उम्र 51 साल निवासी 71 ए देवीनगर भरत आश्रम मार्ग न्यु सांगानेर रोड गुर्जर की थडी के पास जयपुर द्वारा क्रय की गयी थी। उक्त विक्रय पत्र मे रसीद नबंर 202602421002117 दिनांक 18.05.2026 राशि 103831 अकिंत होकर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये। उक्त विक्रय पत्र मे परिवादी व गवाह के हस्ताक्षर होना पाये गये ।तृतीय विक्रय पत्र तादादी 1,01,44,000/- रूपये दिनांक 31.07.2026 विक्रेता गुलाब देवी पत्नी रूपसिंह उम्र 62 साल जाति जाट निवासी ग्राम हरचंदपुरा कांकरोली तहसील आमेर जिला जयपुर से श्रीमती पल्लवी स्वामी पत्नी श्री घनश्याम स्वामी उम्र 49 साल निवासी 71 ए देवीनगर भरत आश्रम माग्र न्यु सांगानेर रोड गुर्जर की थडी के पास जयपुर द्वारा क्रय की गयी थी। उक्त विक्रय पत्र मे रसीद नबंर 202602421003446 दिनांक 31.07.2026 राशि 101440 अकिंत होकर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये। उक्त विक्रय पत्र मे परिवादी व गवाह के हस्ताक्षर होना पाये गये । परिवादी द्वारा राजकोष में कोई नुकसान नही पहुचाया गया। रजिस्ट्री निष्पादन के पश्चात परिवादी द्वारा दिया गया चैक विक्रेता के खाता में क्लियर भी हो गया है तथा परिवादी को मौके पर कब्जा भी सम्भला दिया गया है। परिवादी उक्त रजिस्ट्री के पेटे आज दिनांक को कोई विवाद प्रथम दृष्टया नही होने, उक्त कृषि भूमि, हाईवे, स्टेट हाईवे, आम रोड पर स्थित नही होने इसके बावजूद भी परिवादी को रजिस्ट्री देने के लिये आरोपी श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक व श्री देवीलाल रीडर/लिपिक आपसी मिलीभगत पूर्वक आपराधिक षडयन्त्र रचकर अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुये उक्त 03 रजिस्ट्रीया देने के लिये आरोपी तहसीलदार संजय द्वारा अपने मध्यस्थ श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक के माध्यम से 60,000/-रूपये की रिश्वत राशि की अनुचित मांग की गयी एवं दिनांक 07.08.2026 को उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देने के पश्चात भी उक्त रजिस्ट्रीया परिवादी को हस्ताक्षर कर सुपुर्द नही कर परिवादी का कार्य अनावश्यक लम्बित रखा गया। दिनांक 11.08.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपीगण ने परिवादी को रजिस्ट्री देने के लिये श्री देवीलाल रीडर द्वारा 60,000/-रूपये की रिश्वत राशि व कुर्सियाँ की मांग की गयी। परिवादी द्वारा कुछ राशि कम कर दो सर कहने पर श्री संजय कुमार तहसीलदार ने आरोपी श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया व कहॉ कि कुर्सिया मे से एक का तो हाईड्रोलिक खराब है तथा एक नई लाकर दे दो, यह अपने पास आते रहते है, रजिस्ट्रीयो पर हस्ताक्षर हो चुके है, परिवादी द्वारा कुछ कम करने के लिये कहने पर श्री संजय कुमार तहसीलदार ने कुछ नेगोशियसन कर लो देवीलाल जी, इसके पश्चात आरोपी श्री देवीलाल द्वारा 55,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ व कहॉ कि अभी दे दो पैसे ओर आपकी 03 रजिस्ट्री अभी ले जाओ। आज दिनांक 12.08.2026 को आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री रामकरण भाटी से अपनी मांग के अनुशरण में अपने दाहिन हाथ से रिश्वत राशि 55,000/- रूपये प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुये पेंट के दाहिने जेब मे रखना व कुछ समय पश्चात आरोपी श्री देवीलाल

द्वारा रिश्वत राशि अपने पास खडे आरोपी श्री अशोक कुमार को उसके दाहिने हाथ मे दी जाने पर उसके द्वारा बाये हाथ मे लेकर बाये से दाहिने हाथ मे लेकर पहनी हुयी पेंट की दाहिनी जेब मे रखने से आरोपी श्री अशोक के पेंट से रिश्वत राशि हूबहू बरामद होना पायी गयी जिससे आरोपी श्री देवीलाल व श्री अशोक की आपसी मिलीभगत की पुष्ठि हुयी एवं आरोपी श्री देवीलाल व श्री अशोक के हाथो की अंगुलिया व अंगुठे के धोवन व दोनो की पेंट के दाहिने जेब के धोवण का मिश्रण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपीगण श्री संजय कुमार तहसीलदार व आरोपी श्री देवीलाल के पास परिवादी का कार्य लम्बित होना प्रथम दृष्ट्या पाया गया। आरोपीगण श्री संजय कुमार, तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व श्री देवीलाल लिपिक कार्यालय तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व श्री अशोक कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर आपसी मिलीभगत पूर्वक परिवादी के वैध कार्य के लिये षडयंत्र पूर्वक परिवादी से आरोपी श्री देवीलाल व श्री अषोक द्वारा रंगे हाथों अनुचित रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संषोधित) अधिनियम 2018 व 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपीगणों की गिरफ्तारी वांछित होने से मौके पर 1-देवीलाल पलसानिया पुत्र श्री नारायण जाट जाति जाट, उम्र 24 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी ग्राम जुबानपुरा, तहसील विराटनगर पुलिस थाना भाबरू जिला कोटपूतली बहरोड हाल कनिष्ठ सहायक/रीडर कार्यालय तहसील/उप पंजीयक विराटनगर जिला कोटपूतली -बहरोड को समय 11.00 पीएम 2-श्री अशोक पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण, एम्र 38 वर्ष, पेशा प्राईवेट कार्य निवासी ग्राम पापडी, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड (प्राईवेट व्यक्ति) को समय 11.30 पीएम 3-श्री संजय कुमार पुत्र श्री दुल्लीचंद जाति जाट उम्र 40 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी गांव खेदडो की ढाणी, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू हाल निवास सरकारी आवास परिधि तहसील कार्यालय हाल तहसीलदार/ उप पंजीयक तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड को समय 11.45 पीएम पर पृथक पृथक जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी के आधार व कारणो की सूचना लिखित में दी गयी। उक्त समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाथ धुलाई ,बरामदगी रिश्वती राशि नोट एवं जप्ती धोवण एवं जप्त रिश्वत राशि तैयार की जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री संजय कुमार, तहसीलदार, श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक, श्री अशोक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिये चिकित्सा अधिकारी/मेडिकल, राजकीय चिकित्सालय विराटनगर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 13.08.2026 को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामकरण भाटी की निशादेही व दोनों स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में पर्याप्त रोशनी एवं लाईट में घटनास्थल पर पहुचँकर फर्द निरीक्षण घटनास्थल जरिये फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।परिवादी श्री रामकरण भाटी को दिनांक 13.08.2026 को समय पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। इसके पश्चात समय 4.00 पीएम पर मन् अर्चना मीना उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रमेश चंद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्रीमती सावित्री महिला कानि.स्वतंत्र गवाह सुश्री अनिता मय सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर मय चालक मय अनुसंधान सामग्री ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, शील्ड शुदा आर्टीकल्स मय बरामद शुदा रिश्वत राशि एवं सरकारी वाहन टेम्पो ट्रेवलर बस मे श्री निर्मल कुमार मुख्य आरक्षी-57, श्री यशपाल शर्मा आरक्षी 191 ,श्री हेमराज मीना आरक्षी -306 सीपीएस भ्रनिब्यूरो जयपुर, श्री सोहन लाल आरक्षी 216 सीपीएस भ्रनिब्यूरो जयपुर श्री मेहर सिंह आरक्षी 255 एसयू प्रथम भ्रनिब्यूरो जयपुर 2.श्री रविन्द्र कुमार आरक्षी 467 मय श्री राजीव कुमार गुप्ता कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (स्वतंत्र गवाह) के रवाना उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आयी। आरोपीगण श्री संजय कुमार, श्री देवीलाल व श्री अशोक को डीओ डयूटी अधिकारी व संतरी पहरा व निगरानी स्टाफ को दुरुस्त सुपुर्द कर दाखिल हवालात करवाकर आरोपीगण को पूर्ण विश्राम करने की हिदायत कर निगरानी स्टाफ को हिदायत की गई। षील्ड शुदा आर्टीकल्स व बरामद शुदा रिष्वत राषि अपने पास अलमारी में दुरूस्त रखी गयी । ब्यूरो स्टॉफ व स्वतंत्र गवाह को कुछ विश्राम के पश्चात ब्यूरो कार्यालय पर आने की हिदायत की गयी। प्रकरण के आरोपीगण को दैनिक क्रियाक्रम से निवृत करवाया जाकर खाना खिलाया गया। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री संजय कुमार ,श्री देवीलाल व श्री अशोक से पृथक-पृथक पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट पृथक-पृथक मूर्तिब किया जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर परिवादी व आरोपीगण श्री देवीलाल रीडर, लिपिक, कार्यालय उप पंजीयक तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 12.08.2026 को रिश्वत राशि लेनदेन के समय आमने सामने हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाये जाने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर लैपटॉप की सहायता से सुनकर गवाहो की उपस्थिति में रिष्वत राषि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार करना शुरू की गयी। परिवादी श्री रामकरण भाटी एवं आरोपी श्री देवीलाल, कनिष्ठ सहायक (रीडर), कार्यालय तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान परिवादी श्री रामकरण भाटी द्वारा की गई। फर्द अनुलिपी में रूपान्तरण वार्ता परिवादी श्री रामकरण भाटी के सामने उनसे पूछ-पूछकर तैयार की गयी। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी ने उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया एवं वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के मेमोरी कार्ड बनवाने हेतु 03 Consistent कम्पनी का 32 GB के मंगवाये जाकर खाली होना सुनिश्चित कर

कार्यालय के लैपटॉप में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर लैपटॉप एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे मूल मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB की सहायता से रिकॉर्ड शुदा वार्ता की वाईस क्लीप को बारी-बारी से 03 मेमोरी कार्ड मे कॉपी/पेस्ट किया जाकर मेमोरी कार्ड पर क्रमशः मार्क "MC.1", "MC.2" व "MC.3" अंकित किया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मेमोरी कार्ड मार्क " MC.1" व "MC.2" को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर मार्क अंकित कर अलग-अलग सफेद कपडे़ की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्क " MC.1" व "MC.2" अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया । मेमोरी कार्ड "MC.3" को अनुसंधान हेतु खुला रखकर शामिल ट्रेप कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे से निकालकर लैपटॉप से कनेक्ट कर हैश वेल्यू निकाली गयी। इसके पश्चात मूल मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB को उसके कंवर मे रखकर कवर को एक सफेद कपडे़ की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क MC अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट/अनुलिपी पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने प्रकरण के आरोपी श्री देवीलाल रीडर/ कनिष्ठ सहायक व श्री संजय कुमार उप पंजीयक/तहसीलदार को अपनी आवाज का नमूना देने के लिये जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज देने के लिये कहाॅ जाने पर आरोपीगण द्वारा पृथक-पृथक अपनी-अपनी आवाज का नमूना नही देने के लिये स्पष्ट रूप से इंकार किया गया जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज पृथक-पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गयी। आरोपी द्वारा उक्त फर्द पर हस्तलिखित अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया गया है। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आज दिनांक 13.08.2026 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 12.08.2026 को की गयी विडियो रिकॉर्डिंग के सम्बन्ध में सरकारी कैमरा में लगे नये मेमोरी कार्ड को निकालकर कार्ड रीडर की सहायता से लैपटॉप से जोड़कर चैक करने पर उक्त विडियो की क्षमता मेमोरी कार्ड जितनी होना पायी गयी। ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गयी विडियो रिकॉर्डिंग के सम्बन्ध में सरकारी कैमरा में लगे मूल मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB को निकालकर कार्ड रीडर की सहायता से लैपटॉप से कनेक्ट कर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वीडियो की हैश वैल्यू निकाली गयी। इसके पश्चात कार्यालय से Consistent कम्पनी के 32 GB के 02 अन्य मैमोरी कार्ड मंगवाये जाकर लैपटाप में उक्त दोनो मैमोरी कार्ड को बारी-बारी से लगवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात उक्त दोनो मैमोरी कार्ड को बारी-बारी से कार्ड रिडर में डालकर लैपटॉप से ट्रेप कार्यवाही की विडियों रिकॉर्डिंग की मूल मेमोरी कार्ड से कॉपी की गयी। इसके पश्चात उक्त Consistent कम्पनी के 32 GB के 02 मैमोरी कार्ड को बारी-बारी से चैक किया जाने पर विडीयों रिकॉर्डिंग संरक्षित/सेव/कॉपी होना सुनिश्चित किया गया। मूल मेमोरी कार्ड का अवलोकन करने पर मेमोरी कार्ड Consistent कम्पनी का 32 GB होना पाया गया। जिसको उसके कवर में रखकर कवर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर की जाकर पैकिट पर मार्क A अंकित किया तथा विडियों रिकॉर्डिंग के कॉपीशुदा Consistent कम्पनी के 32 GB के एक मैमोरी कार्ड को एक अलग सफेद कपड़े की थैली में रखकर क्रमशः मार्क A-1 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष सील्ड मोहर कर स्वतंत्र गवाहों व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दुसरे मेमोरी कार्ड को मार्क A-2 अंकित कर (आई.ओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। उक्त तकनीकी कार्यवाही मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री निर्मल कुमार हैड कानि.57 द्वारा तैयार की गयी। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रैप कार्यवाही में जो फर्द नमूना सील काम में ली गई थी जिसकी पृथक से फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल कार्रवाही की गईं। दिनांक 13.08.2026 को तहसील कार्यालय विराटनगर से श्री कमल मेहरा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मेहरा जाति मेहरा उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नम्बर जे-69, आदर्श नगर, धोभियो का मोड, श्मशान रोड जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड मोबाईल नम्बर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये व बताया कि तहसील विराटनगर में श्री संजय कुमार तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे तथा नायब तहसीलदार श्रीमती मेनका चौधरी है जो मातृत्व अवकाश मे चल रही है। तहसील मे अन्य कोई अधिकारी आज की तारीख मे मौजूद नही है ना ही चार्ज है, इसलिये मे सहायक प्रशासनिक अधिकारी होने से उपस्थित आया हू। ट्रेप कार्यवाही मे परिवादी श्री रामकरण भाटी का वैध कार्य प्रभावित एवं बाधित होने से रोकने के लिये स्वतंत्र गवाह के समक्ष दिनांक 12.08.2026 को जप्त शुदा 03 मूल रजिस्ट्रीया की फोटो प्रतियाँ करवायी गयी। उक्त 03 मूल रजिस्ट्रयो को हूबहू श्री कमल मेहरा सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने तहसील की सील फोटो कॉपी प्रमाणित उप पंजीयक विराटनगर की सील से प्रमाणित किया गया। इसके पश्चात क्रम संख्या 01 से 03 पर उल्लेखित मूल रजिस्ट्रीया से श्री कमल मेहरा सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाने से श्री कमल मेहरा को मूल रजिस्ट्रीया सुपुर्द कर नियमानुसार उक्त रजिस्ट्रीयो को पंजीकृत करवाने, नये तहसीलदार के पदस्थापन पर उनके समक्ष प्रस्तुत करने एवं पजीयन होने के पश्चात उक्त रजिस्ट्रीयो की सत्य प्रतिया प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित कर मूल रजिस्ट्रीया 03 सुपुर्द की गयी। श्री कमल मेहरा को हिदायत की गयी कि इन मूल रजिस्ट्रीयो व इनके साथ संलग्न दस्तावेजो में किसी प्रकार की कोई छेडछाड व काटछाॅट नही करे। उक्त कार्यवाही

की फर्द सुपुर्दगी मूल पंजीकृत हेतु प्रस्तुत 03 रजिस्ट्रीयॉ जिनमे से एक परिवादी श्री रामकरण भाटी की क्रय कृषि भूमि एवं परिवादी द्वारा डा. घनश्याम स्वामी व उनकी पत्नि को दिलायी गयी जमीन के पंजीयन हेतु प्रस्तुत रजिस्ट्रीया एवं जप्ति मूल सें प्रमाणित रजिस्ट्र्या 03 की प्रतियॉ मूर्तिब की जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जप्त शुदा आर्टीकल्स व जप्त शुदा रिष्वत राषि व रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता व लेनेदन वार्ता की शील्ड शुदा सीडीयॉ जरिये पत्र जमा मालखाना जाने के लिये पत्र तैयार किया गया जो मालखाना मे जमा करवाये जाकर प्राप्ति रसीद शामिल ट्रैप कार्यवाही की गयी। इसके पश्चात गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री संजय कुमार, श्री देवीलाल व श्री अशोक का 15 योम जेसी रिमाण्ड मूर्तिब कर माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 25.07.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया एवं बन्दी जमा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। अब तक की ट्रेप कार्यवाही, परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द प्राप्ति नमूना आवाज, तथ्यो एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपीगण लोकसेवक श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड व आरोपी श्री देवीलाल, रीडर तहसीलदार/उप पंजीयक कार्यालय तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड मे कार्यरत होकर तहसील विराटनगर के क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, भूखण्ड, आवासीय भूखण्ड, वाणिज्यिक भूखण्ड, भूमि आदि के क्रय विक्रय पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क नियमानुसार प्राप्त कर दस्तावेजो को रजिस्टर्ड/पंजीयन करवाने का कार्य किया जाता है। प्रथम विक्रय पत्र परिवादी द्वारा श्री रामसहाय पुत्र श्री भगवान सहाय कुम्हार , उम्र 54 वर्ष निवासी आमलोदादूदी से ग्राम व पटवार हल्का आमलोदादूदी मे स्थित खाता संख्या 151 व खसरा नम्बर 330,332,333,334 मे से 1/14 हिस्सा यानि 0.0742 हैक्टेयर भूमि राशि 1,46,000/-रूपये मे क्रय की गयी थी। जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 26.05.2026 को उप पंजीयक/तहसील कार्यालय तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड में करवायी थी। जिसमें विक्रेता, परिवादी, दो गवाह् श्री सुभाष जाट व श्री जगमाल यादव थे जिनकी उस दिन फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी हो गयी थी। परिवादी द्वारा पंजीयन व स्टाम्प शुल्क 13,931/-रूपये नियमानुसार जमा करवाये थे। द्वितीय विक्रय पत्र तादादी 1145100/- रूपये दिनांक 18.05.2026 विक्रेता ज्ञानेन्द प्रसाद अग्रवाल उम्र 76 साल, श्री रूपेन्द्र प्रसाद अग्रवाल उम्र 63 साल, श्री लोकेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी तरूछाया नगर से श्री घनश्याम स्वामी उम्र 51 साल निवासी 71 ए देवीनगर भरत आश्रम माग्र न्यु सांगानेर रोड गुर्जर की थडी के पास जयपुर द्वारा क्रय की गयी थी । उक्त विक्रय पत्र मे रसीद नबंर 202602421002117 दिनांक 18.05.2026 राशि 103831 अकिंत होकर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये। उक्त विक्रय पत्र मे परिवादी व गवाह के हस्ताक्षर होना पाये गये । तृतीय विक्रय पत्र तादादी 1,01,44,000/- रूपये दिनांक 31.07.2026 विक्रेता गुलाब देवी पत्नी रूपसिंह उम्र 62 साल जाति जाट निवासी ग्राम हरचंदपुरा कांकरोली तहसील आमेर जिला जयपुर से श्रीमती पल्लवी स्वामी पत्नी श्री घनश्याम स्वामी उम्र 49 साल निवासी 71 ए देवीनगर भरत आश्रम मार्ग न्यु सांगानेर रोड गुर्जर की थडी के पास जयपुर द्वारा क्रय की गयी थी। उक्त विक्रय पत्र मे रसीद नबंर 202602421003446 दिनांक 31.07.2026 राशि 101440 अकिंत होकर उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही होना पाये गये। उक्त विक्रय पत्र मे परिवादी व गवाह के हस्ताक्षर होना पाये गये । परिवादी द्वारा राजकोष में कोई नुकसान नही पहुँचाया गया। रजिस्ट्री निष्पादन के पश्चात परिवादी द्वारा दिया गया चैक विक्रेता के खाता में क्लियर भी हो गया है तथा परिवादी को मौके पर कब्जा भी सम्भला दिया गया है। परिवादी उक्त रजिस्ट्री के पेटे आज दिनांक को कोई विवाद प्रथम दृष्टया नही होने, उक्त कृषि भूमि, हाईव, स्टेट हाईवे, आम रोड पर स्थित नही होने इसके बावजूद भी परिवादी को रजिस्ट्री देने के लिये आरोपी श्री संजय कुमार तहसीलदार/उप पंजीयक व श्री देवीलाल रीडर/लिपिक आपसी मिलीभगत पूर्वक आपराधिक षडयन्त्र रचकर अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुये उक्त 03 रजिस्ट्रीया देने के लिये आरोपी तहसीलदार संजय द्वारा अपने मध्यस्थ श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक के माध्यम से 60,000/- रूपये की रिश्वत राशि की अनुचित मांग की गयी एवं दिनांक 07.08.2026 को उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देने के पश्चात भी उक्त रजिस्ट्रीया परिवादी को हस्ताक्षर कर सुपुर्द नही कर परिवादी का कार्य अनावश्यक लम्बित रखा गया। दिनांक 11.08.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपीगण ने परिवादी को रजिस्ट्री देने के लिये श्री देवीलाल रीडर द्वारा 60,000/-रूपये की रिश्वत राशि व कुर्सियॉ की मांग की गयी। परिवादी द्वारा कुछ राशि कम कर दो सर कहने पर श्री संजय कुमार तहसीलदार ने आरोपी श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया व कहॉ कि कुर्सिया मे से एक का तो हाईड्रोलिक खराब है तथा एक नई लाकर दे दो, यह अपने पास आते रहते है, रजिस्ट्रीयो पर हस्ताक्षर हो चुके है, परिवादी द्वारा कुछ कम करने के लिये कहने पर श्री संजय कुमार तहसीलदार ने कुछ नेगोशियसन कर लो देवीलाल जी, इसके पश्चात आरोपी श्री देवीलाल द्वारा 55,000/-रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ व कहॉ कि अभी दे दो पैसे ओर आपकी 03 रजिस्ट्री अभी ले जाओ । दिनांक 12.08.2026 को आरोपी श्री देवीलाल रीडर/कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री रामकरण से अपनी मांग के अनुशरण में अपने दाहिन हाथ से रिश्वत राशि 55,000/- रूपये प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुये पेंट के दाहिने जेब मे रखना व कुछ समय पश्चात आरोपी श्री देवीलाल द्वारा रिश्वत राशि अपने पास खडे आरोपी श्री अशोक कुमार को उसके दाहिने हाथ मे दी जाने पर उसके द्वारा बाये हाथ मे लेकर बाये से दाहिने हाथ मे लेकर पहनी हुयी पेंट की दाहिनी जेब मे रखने से

आरोपी श्री अशोक के पेंट से रिश्वत राशि हूबहू बरामद होना पायी गयी जिससे आरोपी श्री देवीलाल व श्री अशोक की आपसी मिलीभगत की पुष्ठि हुयी एवं आरोपी श्री देवीलाल व श्री अशोक के हाथो की अंगुलिया व अंगुठे के धोवन व दोनो की पेंट के दाहिने जेब के धोवण का मिश्रण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपीगण श्री संजय कुमार तहसीलदार व आरोपी श्री देवीलाल के पास परिवादी का कार्य लम्बित होना प्रथम दृष्ट्या पाया गया। आरोपीगण श्री संजय कुमार, तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व श्री देवीलाल लिपिक कार्यालय तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड व श्री अशोक कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर आपसी मिलीभगत पूर्वक परिवादी के वैध कार्य के लिये षडयंत्र पूर्वक परिवादी से आरोपी श्री देवीलाल व श्री अषोक द्वारा रंगे हाथों अनुचित रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संषोधित) अधिनियम 2018 व 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है। भवदीय, (अर्चना मीणा) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू-1 जयपुर........... कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संषोधित) अधिनियम 2018 व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री देवीलाल पलसानिया पुत्र श्री नारायण जाट जाति जाट , उम्र 24 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी ग्राम जुबानपुरा, तहसील विराटनगर पुलिस थाना भाबरू जिला कोटपूतली बहरोड हाल कनिष्ठ सहायक/ रीडर कार्यालय तहसील/उप पंजीयक विराटनगर जिला कोटपूतली -बहरोड 2- श्री अशोक पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण, एम्र 38 वर्ष, पेशा प्राईवेट कार्य निवासी ग्राम पापडी, तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड (प्राईवेट व्यक्ति) एवं 3- श्री संजय कुमार पुत्र श्री दुल्लीचंद जाति जाट उम्र 40 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी गांव खेदडो की ढाणी, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू हाल निवास सरकारी आवास परिधि तहसील कार्यालय हाल तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, SIW जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 262 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1343-47 दिनांक 16.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01, जयपुर 2- निबन्धक, राजस्व मण्डल, राज. अजमेर 3- जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज आयुक्तालय जयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम जयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/08/2026 15:01:43

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2002				
2	Male	1988				
3	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)